न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 50/2020/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड

दायरा दिनांकः 13.2.2020

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामसिंह आत्मज रतनलाल जाति गूर्जर निवासी नानारोज्या तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड राज0 ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 30.4.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 291/अपील/12 अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान रामसिंह बनाम राज0 सरकार जरिये तह0 अकलेरा मे पारित निर्णय दिनांक 29.8.2013 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि न्यायालय तहसीलदार अकलेरा ने मिसल नं0 1457/11 मे पारित निर्णय दिनांक 8.11.2011 से ग्राम रोज्या की आराजी खसरा नं0 593 की 4 बीघा किस्म बजड पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बेदखल करने, राशि 140/–रूपये शास्ति एंव 15 दिन के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड के यहां पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 29.8.2013 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.8.2013 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एंव न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को बहाल रखने मे त्रुटि की है क्योंकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य दखलनामा पेश नही हुआ जिससे यह माना जा सके कि अपीलांट को विवादित आराजी से पूर्व मे कभी किसी आदेश की पालना मे बेदखल किया जाकर आराजी को कब्जा राज लिया हो। बिना दखल नामे के अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के पटवारी हल्का द्वारा जारी प्रमाण पत्र कब्जा छोडने के संदर्भ मे संदेहास्पद मानकर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है व जुर्माना जमा करवा दिया है ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त किया जाना चाहिये था। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे पारित सिविल कारावास की सजा माफ की जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे लिखित बहस पेश की जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को कानूनी प्रावधानों के विपरीत खारिज किया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित नही है। पूर्व निर्णय की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नही है। निर्णय की पालना मे बेदखल किया गया हो ऐसा दखलनामा भी पेश नही किया गया। अतः दस्तावेज के अभाव मे अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही माना जासकता। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है एंव जुर्माना भी जमा करवा दिया है न्यायहित मे अपील अवधि मध्य मानी

जाकर अपील को मेरिट पर निर्णित कर स्वीकार की जावे तथा सिविल कारावास का आदेश निरस्त फरमाया जावे। लिखित बहस के समर्थन मे आरआरडी 1996 पेज 583 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा डिले कन्डोन हेतु अपील मे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार अकलेरा ने मिसल नं0 1457/11 मे पारित निर्णय दिनांक 8.11.2011 से ग्राम रोज्या की आराजी खसरा नं0 593 की 4 बीघा किस्म बजड पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बेदखल करने, राशि 140/—रूपये शास्ति एंव 15 दिन के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया जिसकी प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ के यहां पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 29.8.2013 को खारिज की गई। हस्तगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित नही है। पूर्व निर्णय की प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। निर्णय की पालना मे बेदखल किया गया हो ऐसा दखलनामा भी प्रकरण मे पेश नही किया गया। अतः दस्तावेज के अभाव मे अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही माना जा सकता। प्रकरण मे अपीलाट का यह भी तर्क रहा है कि उसके द्वारा विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है एंव जुर्माना भी जमा करवा दिया है अतः अपील स्वीकार की जाकर सिविल कारावास का आदेश निरस्त किया जावे अपने तर्क के समर्थन मे आरआरडी 1996 पेज पेज 583 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। चूंकि प्रकरण मे अपीलांट का कथन रहा है कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया गया है इसलिये उसके साथ नरमी का रूख किया जा सकता है। यदि अपीलार्थी तहसीलदार अकलेरा मे उपस्थित होकर एक शपथ पत्र इस बावत प्रस्तुत करे कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा वह भविष्य मे किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा और अधिरोपित अर्थ दंड की राशि अदा कर देगा तो उसे सिविल कारावास के दंड से मुक्त किया जा सकता है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर तहसीलदार अकलेरा के मिसल नं0 1457/11 मे पारित निर्णय दिनांक 8.11.2011 मे आंशिक संशोधन किया जाता है। अपीलांट को 15 दिन के सिविल कारावास की सजा से मुक्त किया जाता है। सिविल कारावास की सजा से मुक्ति तभी मिलेगी जब वह न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के समक्ष एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर दे कि उसने वादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड दिया है तथा वह भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा। इसके अतिरिक्त उस पर अधिरोपित अर्थ दंड जमा करा दिया गया हो। तहसीलदार अकलेरा यह सुनिश्चित करले कि विवादित भूमि से कब्जा अपीलार्थी ने हटा दिया हो तथा उसके द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया जो तभी उसे सिविल कारावास के दंड से मुक्ति दी जा सकेगी, अन्यथा तहसीलदार अकलेरा का निर्णय यथावत रहेगा। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड का निर्णय दि0 29.8.2013 अपास्त किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा